

प्रेषक,

निदेशक (प्रशिक्षण),
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
..... उत्तराखण्ड।

पत्रांक: 1128-30 / डीटीईयू / से0का0अधि0 / 2022

दिनांक 10 फरवरी 2022

विषय: उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के क्रियांवयन की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के पत्र संख्या: 77/22-15(1)/2015/भाग-2 दिनांक 20 जनवरी 2022 द्वारा उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के क्रियांवयन की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित

करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(विनोद गोस्वामी)
निदेशक (प्रशि0)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग सेवा का अधिकार भवन चालंग हिल्स, पो0ऑ0- कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
2. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय हल्द्वानी।
3. संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण एवं शिशिक्षु, कुमांऊ मण्डल हल्द्वानी/प्रशिक्षण एवं शिशिक्षु गढ़वाल मण्डल, श्रीनगर।
4. उप निदेशक, व्यवसायिक परीक्षा परिषद निरंजनपुर माजरा देहरादून उत्तराखण्ड।

(विनोद गोस्वामी)
निदेशक (प्रशि0)

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-8
संख्या:- 831/XXX(6)/2021-20(02)21
देहरादून, दिनांक: 30 दिसम्बर, 2021
अधिसूचना

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 20 वर्ष 2011) की धारा-03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जनसामान्य को नियत समय-सीमा में सेवार्यें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचना सं0-1337/XXXI(13)/G/2011 दिनांक 28.10.2011, 368/XLIII(1)/16-20(04)16, दिनांक 28.04.2016, 598/XLIII(1)/16-20(04)16, दिनांक 31.05.2016, 758/XLIII(1)/16-20(04)16, दिनांक 14.06.2016, 868/XLIII(1)/16-20(04)16, दिनांक 28.06.2016, 146/XLIII(1)/16-20(04)16, दिनांक 25.06.2018, 156/XLIII(1)/16-20(04)16, दिनांक 03.08.2018 137/XXX(6)/21-20(04)16, दिनांक 02.03.2021, 801/XXX(6)/21-20(02)21, दिनांक 12.11.2021, 802/XXX(6)/21-20(02)21, दिनांक 12.11.2021 एवं 803/XXX(6)/21-20(02)21, दिनांक 12.11.2021 द्वारा अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त निम्नांकित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवार्यें प्रदान करने की समय-सीमा, प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी का पदनाम निम्नवत् अधिसूचित किया जाता है:-

1. कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग :

क्र० सं०	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6
1	आईटीआई में प्रवेशित छात्रों के लिये अंकपत्र और प्रमाण पत्र की सत्यापन पश्चात वापसी।	प्रधानाचार्य आईटीआई	15 दिवस	संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण)	निदेशक (प्रशिक्षण)
2	आईटीआई छात्रों के लिये चिकित्सा अयकाश की स्वीकृति (क) 28 दिन तक (ख) 28 दिन से ऊपर	प्रधानाचार्य आईटीआई निदेशक द्वारा अधिकृत अधिकारी	10 दिवस 30 दिवस	संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण) संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण)	निदेशक (प्रशिक्षण) निदेशक (प्रशिक्षण)
3	(SCVT) उत्तीर्ण परीक्षा परिणाम के साथ चरित्र प्रमाण पत्र जारी करना।	प्रधानाचार्य आईटीआई	15 दिवस	संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण)	निदेशक (प्रशिक्षण)
4	उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रमाण पत्र जारी करना। (SCVT)	प्रधानाचार्य आईटीआई	30 दिवस	संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण)	निदेशक (प्रशिक्षण)
5	स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र जारी करना (SCVT) (आवश्यकता होने पर)	प्रधानाचार्य आईटीआई	15 दिवस	संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण)	निदेशक (प्रशिक्षण)
6	डुप्लिकेट अंकपत्र जारी करना (SCVT)	प्रधानाचार्य आईटीआई	15 दिवस	संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण)	निदेशक (प्रशिक्षण)
7	डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करना (SCVT)	प्रधानाचार्य आईटीआई	30 दिवस	संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण)	निदेशक (प्रशिक्षण)
8	आवेदक द्वारा औपचारिकता पूर्ण करने पर संशोधित अंकपत्र जारी करना (SCVT)	प्रधानाचार्य आईटीआई	15 दिवस	संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण)	निदेशक (प्रशिक्षण)
9	संशोधित प्रमाण पत्र जारी करना (SCVT)	प्रधानाचार्य आईटीआई	30 दिवस	संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण)	निदेशक (प्रशिक्षण)
10	जांच/संवीक्षा (Scrutiny) का परिणाम की घोषणा करना। (SCVT)	प्रधानाचार्य आईटीआई	30 दिवस	संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण)	निदेशक (प्रशिक्षण)
11	जमानत / बन्धक राशि (caution money) (क) उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों की काशन मनी की वापसी।	प्रधानाचार्य आईटीआई	30 दिवस	संयुक्त निदेशक, (प्रशिक्षण)	निदेशक (प्रशिक्षण)